



Centre for Community Leadership Development Studies

पत्रांक : CCLDS / 17 / 017

दिनांक 14 अप्रैल, 2017

प्रति,

प्रभारी / समन्वयक,
समाज कार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व),
मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम,
मध्यप्रदेश।

विषय :- समाज कार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व) पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु दिशा-निर्देश।

जैसा कि पूर्व में पत्र क्रमांक - सी.सी.एल.डी.एस./2017/234 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के द्वारा सूचित किया गया था कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित बी. एस. डब्ल्यू. (सामुदायिक नेतृत्व) पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 15 से 30 मई 2017 के मध्य होना प्रस्तावित है। प्रायोगिक परीक्षा समय से आयोजित करने हेतु जिलेवार एवं विकासखण्डवार परीक्षकों की सूची पूर्व में प्रेषित प्रारूप में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि माननीय कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त के संदर्भ में निवेदन है कि -

1. मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संचालित 89 आदिम जाति कल्याण विभाग के विकासखण्डों एवं 224 गैर-आदिम जाति विकासखण्डों के परीक्षकों की सूची अद्यतन अप्राप्त हैं। जिसे अबिलम्ब ई-मेल cmcldpcourse@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. 51 जिले स्तर पर संचालित महिला सशक्तिकरण, संचालनालय के केन्द्रों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु मात्र 27 जिलों के नाम अद्यतन प्राप्त हैं, शेष 24 जिलों के केन्द्रों के परीक्षकों की सूची भी ई-मेल cmcldpcourse@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षकों का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि परीक्षक कम से कम परास्नातक (PG) हों एवं दस वर्ष का शिक्षण/प्रसार/विकास के कार्यों को करने का अनुभव रखते हों।
4. इण्टर कॉलेज प्राचार्य एवं स्नातक डिग्री कॉलेज के प्राध्यापक वर्तमान में कार्यरत या सेवानिवृत्त को भी बाह्य परीक्षक बनाया जा सकता है।
5. प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रदत्त कार्य/क्षेत्रीय कार्य/इंटरनशिप के 2016-17 में किये गये कार्यों के अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इसी माह जमा करा लिये जायें जिससे परीक्षा के पूर्व उनका मूल्यांकन हो सके। प्रायोगिक कार्य के लिए पृथक से जानकारी प्रेषित की जा रही है।

विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित जिलों के लिए चयनित बाह्य परीक्षकों में से सुगमतापूर्वक उपलब्ध परीक्षक से परीक्षा कराकर निर्धारित प्रपत्र में मानदेय एवं यात्रा से संबंधित "मूल बिल" प्रेषित करें जिससे संबंधित परीक्षक का समय से भुगतान किया जा सके।

अमरजीत सिंह
12.4.17

(डॉ. अमरजीत सिंह)

निदेशक एवं लिंक अधिकारी

प्रतिलिपि : सूचनार्थ -

1. मा. कुलपति के निजी सहायक, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)।
2. श्री उमेश शर्मा, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. डॉ. प्रवीण शर्मा, टास्क मैनेजर, म.प्र. जन अभियान परिषद, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. श्रीमती रचना बुधौलिया, उप संचालक, संचालनालय, महिला सशक्तिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।
5. श्री आर.के. मिश्रा, राज्य सलाहकार, (मध्यप्रदेश शासन) सी.एम.सी.एल.डी.पी., भोपाल।